Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 177/2026, Kadwa P.S. Case No. 129/2025
Md. EhsanV/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 177/2025

Kadwa P.S. Case No- 129/2025

1. मो0 एहसान आलम पिता रिजवान आलम, उ0त0–34 वर्ष
निवासीः– ग्राम– चौसा, थानाः– चोसा,
जिलाः–मधेपुरा। .....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। .....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0स0लो0अ0श्रीः.....सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्रीः .....मित्रा नारायण यादव।
उपस्थितः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार

Date 21-05-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 09.02.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक कौशल कुमार सिनियर रिजनल मैनेजर, एल एंड टी फाईनेंस, पूर्णिया ने थाना प्रभारी कदवा को लिखित आवेदन दिया है कि यह कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक गैर बैकिंग फाइनेंस कंपनी है जो इच्छुक लोगों को विभिन्न प्रकार की ऋण सहायता प्रदान करती है, जिसका पंजीकृत कार्यालय वृदावन, प्लॉट नंबर 177, सी0एस0टी0 रोड, कलिना, सांताकूज पूर्व मुंबई 400098 महाराष्ट्र है और शाखा कार्यालय एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड, चांदपुर मेन बाजार, कदवा ब्लॉक, चांदपुर, जिला– कटिहार बिहार 855105 है जो आपके क्षेत्राधिकार में स्थित है। एल एंड टी फाईनेंस कंपनी के द्वारा माइक्रो लोन की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें लोन लेने की इच्छुक महिलाओं के समूह को ऋण प्रदान किया जाता है। यहां यह विदित है कि ऋतु कुमार गोस्वामी, अशोक कुमार, मोहम्मद एहसान एवं गौतम कुमार सी0एस0पी0 संचालक राकेश कुमार सहित प्राथमिकी में नामित 92 ग्राहकों से मिलीभगत करके वित्त प्रदान करने के आवश्यक नियमों की अनदेखी करते हुए कंपनी को धोखा देने की नियत से सदोश अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से खुद अपने रिश्तेदारों माँ, साली, सास, मौसी एवं दूर के रिश्तेदारों एवं जानने वालों के नाम पर लोन दिलाया गया, जिनका नाम कंपनी के पुराने ग्राहकों के नाम से मिलता जुलता था उनका फर्जी आधार कोर्ड बनाया, जिस पर आधार नंबर तो पुराने ग्राहकों का था पर उस पर फोटो उक्त 92 ग्रहकों को लगाया और साथ–ही–साथ कंपनी के पोर्टल पे जा के जो पुराने ग्राहकों को डाटा थे उसमें बैंक अकाउंट नंबर एवं मोबाईल नंबर चेंज करके उपर्युक्त 92 ग्राहकों का बैंक एकाउंट नंबर एवं मोबाईल नंबर अपलोड करके एल एंड टी फाइनेंस से लोग करा लिया जबकि इन सभी का बेईमानी के नियत से मासिक किस्त नहीं चुकाने एवं लोन की राशि को गबन करने का आशय था। इस तरह से अभियुक्तों द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर कूटरचित दस्तावेज को कपटपूर्वक बेईमानी से असली के रूप में प्रस्तुत कर कंपनी के ग्राहक का डाटा चोरी कर फर्जी दस्तावेज बना कर आपराधिक न्यासभंग कर छल करते हुए वित्तीय जालसाजी धोखाधड़ी एवं अवांछित 5525000/– वित्तीय राशि का गबन किया गया है जो एक गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है।
3. जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मित्रा नारायण यादव तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में एक अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 880/2025 विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया गया था जो सुनवाई

Web copy of Court Katihar

के पश्चात खारिज हो गया तथा आवेदक उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक कि0 मिस0 संख्या 90421/2025 दाखिल किया था जो सुनवाई के पश्चात खारिज हो गया। आवेदक का किसी भी न्यायालय में किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। आवेदक दिनांक 09.02.2026 को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जमानत हेतु प्रार्थना किया था लेकिन सुनवाई के बाद उसी दिन खारिज हो गया। आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। उक्त मुकदमा में आवेदक बीमारी एवं लाचार अवस्था में रहने के कारण दिनांक 31.12.2024 को त्यागपत्र स्वीकार किया गया था उसके छः माह बाद आवेदक के विरूद्ध नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इस केस से संबंधित अन्य अभियुक्त गौतम कुमार को नियमित जमानत आवेदन संख्या– 1149/2025 एवं ऋतु कुमार गोस्वामी को नियमित जमानत आवेदन संख्या– 1188/2025 द्वारा तथा राकेश कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 956/2025 के अनुसार जमानत दिया गया है। प्रार्थी को बैंक में राजनीति षडयंत्र के तहत फंसाया गया है। आवेदक स्थानीय जमानतदारों को न्यायालय की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह के द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिसके लिए वे जमानत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि कौशल कुमार सीनियर रिजनल मैनेजर एल0एंड0टी0 फाईनेस कम्पनी के टंकित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध कदवा थाना कांड संख्या– 129/2025 दिनांक 06.06.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 338,336(3),340(2),316(2),316(5),318(4),61(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त सह अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 239/2025 दिनांक 27.08.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा– 338,336(3),340(2),316(2),316(5),318(4),61(2) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए समर्पित किया गया है। सह अभियुक्त गौतम कुमार पर आरोप है कि वह एल0 एंड0 टी0 कम्पनी चांदपुर शाखा में फिल्ड ऑफिसर के पद पर दिनांक 19.07.2023 से 03.03.2025 तक कार्यरत था, जिनका काम लोन लेने के इच्छुक महिलाओं से मिलकर उनके कागजात (आधारकार्ड बैंक स्टेटमेंट) चेक कर उनके घर एवं पता चेक कर लोन हेतु सोरसिंग करना था और ऋतु कुमार गोस्वामी जो कंपनी चांदपुर शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर दिनांक 17 मई 2021 से 18 दिसम्बर 2024 तक कार्यरत था, जिनका काम बी0पी0एन0 ग्राहकों एवं उसके कागजात को सत्यापित कर लेने के बाद उन ग्राहकों को शाखा में बुलाकर उनके कागजात एवं ग्राहकों को सत्यापन करने के बाद लोन डिसवर्स करना था। आवेदकगण के कार्यकलाप के दौरान कुल 92 ग्राहकों को लोन दिया गया, जिसमें सभी लोन एकाउंट को शुरू में लोन का मासिक किश्त सुचारू रूप से जमा किया गया, लेकिन उसके बाद माह मार्च 2025 से उक्त सभी 92 ग्राहकों के खाता में लोन का मासिक किश्त आना बन्द हो गया। जब मार्च 2025 को 92 ग्राहकों के खाता में लोन का मासिक किश्त नहीं आया तो कंपनी के अधिकारी उन ग्राहकों के घर पर विजिट किये लेकिन 92 ग्राहकों में से एक भी भी कस्टमर से भेंट नहीं हुई तब कम्पनी के अधिकारी को कुछ शंका हुई। गड़बड़ी की आशंका होने पर उन्होंने जांच अधिकारियों द्वारा जांच कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि कम्पनी के पुराने ग्राहकों का डिटेल्स निकाला जो पूर्व कम्पनी से ऋण प्राप्त किया था एवं मासिक किश्त से सुचारू रूप से भुगतान कर एन0ओ0सी0 प्राप्त करना था। इन सारे ग्राहकों का डिटेल्स आधार कार्ड का फोटो या आधार कार्ड नंबर लेकर राकेश कुमार सी0एस0पी0 संचालक से मिला तो पता चला कि आवेदक ने पुराने ग्राहकों के नाम से मिलता जुलता नाम के अपने दिश्तेदारों एवं जानने वालों से 92 ग्राहकों को इकट्ठा किया एवं पुराने ग्राहकों के आधार नं0 पर कुछ लोंगो का फर्जी आधार कार्ड बनाकर एवं बैंक एकांउट अपने 92 लोगों का बैंक एकाउंट डालकर अपने पता का दुरूपयोग कर कम्पनी के ग्राहकों का डाटा चोरी कर फर्जी दस्तावेज बनाकर कम्पनी का 55,25,000/– रूपया गबन किया है और गबन करने की घटना को सुनियोजत तरीके से षडयंत्र करके अंजाम दिया गया है, जिसमें ऋतु कुमार गोस्वामी एवं आवेदक मो0 एहसान आलम तथा गौतम कुमार, अशोक कुमार, सी0एस0पी0 संचालक, राकेश कुमार एवं उपर्युक्त 92 ग्रहकों के मिलीभगत कर वित्त प्रदान करने के आवश्यक नियमों का अनदेखी करके कंपनी को धोखा देने और सदोष अभिलाव प्राप्त करने के आशय से खुद

Web Copy Not Certified Katihar

अपने रिश्तेदार मॉ, शाली, सास, मौसी एवं दूर के रिश्तेदारों एवं जानने वालों के नाम से लोन दिलाया गया और आवेदक ने अपने पद का दुरूपयोग कर सी0एस0पी0 संचालक राकेश कुमार एवं अन्य 92 ग्राहकों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर कूटरचित दस्तावेज को कपटपूर्वक बेईमानी से असली के रूप में प्रस्तुत कर कम्पनी के ग्राहकों का डाटा चोरी कर फर्जी दस्तावेज बनाकर आपराधिक न्यास भंग कर छल करते हुए वित्तीय जालसाजी धोखाधड़ी एवं अवांछित 55,25,000/– रूपये वित्तीय राशि का गबन किया है। कांड दैनिकी में आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है तथा सहअभियुक्तों के विरूद्ध विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 338,336(3),340(2),316(2),316(5),318(4),61(2) के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। आवेदक दिनांक 09.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

7. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक मो0 एहसान आलम के जमानत आवेदन क्रमशः दिनांक 18.02.2026 को विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 20000/– रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 3 में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. आवेदक मामले में आरोप गठन के बाद बंधपत्र दाखिल करेंगे।
2. आवेदक के एक जमानतदार परिवार के सदस्य अथवा नजदीकी संबंधी होंगे।
3. आवेदक अंडरटेकिंग/शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि मामले में प्रत्येक तिथि को सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।
4. आवेदक के निरंतर दो तिथियों तक पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।

कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Web copy Civil Court, Katihar